।।कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त आमेर जयपुर उत्तर।।

क्रमांकः– 2375 दिनांकः–14.08.2018

श्रीमान पुलिस उपायुक्त,
जयपुर (उत्तर)।

विषयः– सम्पर्क पोर्टल परिवाद द्वारा ज्ञानेश के संबंध मे।

प्रसंगः– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल परिवाद क्रंमाक 07180673916165 दिनांक 12.07.18 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है की थाना हाजा पर दिनांक 05-6-2018 इस्तगासा 156(3) सीआरपीसी से परिवादिया श्रीमति निर्मला सैनी पत्नि स्व. चेतन कुमर सैनी उम्र 39 साल जाति सैनी निवासी म.न. सी-20 ज्ञान मार्ग नाहरी का नाका थाना संजय सर्किल जयपुर का जरिये डांक इस आश्य का प्राप्त हुआ की यह कि परिवादिया स्वं चेतन सैनी की पत्नी है जिसकी हत्या करके उसके मृत शरीर को नाहरगढ फोर्ट पर लटका दिया गया था तथा हत्या को आत्महत्या का रुप देने की कोशिश की गई थी । 2ण यह कि दिनाँक 25.11.2017 को परिवादिया द्वारा पुलिस थाना ब्रह्मपुरी में रिपोर्ट निम्न आशंय की प्रस्तृत की मेरे पति चेतन कुमार सैनी दिनाँक 23.11.2017 को दोपहर को 3ण30 बजे लगभग घर से मुझे बाजार जाने की कहकर गये थे । लगभग शाम 5.20 बजे पर मेरे पति का फोन आया कि मेरा खाना बना लेना में रात 9.00 बजे तक घर पर आ जाऊगा किन्तु लगभाग 9.50 बजे मेरी ननद मोना का फोन आया की भैया चेतन फोन नही उठा रहे है क्या भैया जयपुर से बाहर है या जयपुर मे ही है इस के बाद मैने लगभग मेरे पति चेतन को दिनाँक 24.11.2017 को सुबह 8.9ण00 बजे तक करीबन 100 बार फोन किया किन्तु घण्टिया जाती रही फोन नही उठाया । इसके पश्चात दिनाँक 24.11.2017 को लगभग सुबह 10ण00 बजे मेरे देवर प्रितम के फोन पर उसके दोस्त विक्की ने बताया कि एक लटके हुए व्यक्ति का फोटो व्हाटसअप पर चल रही है तो मेरे देवर ने उसे फोटो भेजने के लिए कहा जब फोटो मोबाईल पर आई तो हम फोटो देखकर दंग रह गये कि वह फोटो मेरे पति चेतन की थी । इस प्रकार नाहरगढ बुर्ज पर मेरे पति को लेजाकर उसके गले मे रस्सी लटकाकर हत्या कर दी कृप्या हत्या करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर मुझे व मेरे परिवार वालों को न्याय दिलाने की कृप्पा करे अब तक मै मेरे पति के पोस्टमार्टम हाद संस्कार के कारण आज दिनाँक 25.11.2017 को यह रिपोर्ट दे रही हुँ । प्रति संलग्न है । 3. यह कि यह मामला प्रथम दृष्टया ही हत्या का स्पष्ट है इस विषय में कुछ तथ्य निम्न प्रकार है । 1सी सी टी वी फूटेज मे नाहरगढ की ओर जाते समय रस्सी हाथ मे नही है खाली हाथ था 2 पत्थरो पर लिखावट मेरे पति की नही है 3. स्वेटर के पीछे पूरा चूना लगा हैं । जिससे साफ जाहिर होता है कि गला दबा कर हत्या की गई 4. शरीर पर कई जगह चोटो के निशान हैं 5.मौकाए वारदात पर मिले चार चाय के गिलास साबित करते है कि वहॉ चेतन के अतिरिक्त अन्य व्यकित थे। 6. मेरे पति पढे लिखे आत्मविश्वासी संघर्ष जिन्दा दिल स्वाभिमान इंसान थे वह कायराना हरकत कतई नही कर

सकते वह अपने परिवार व बच्चो से अत्यधिक स्नेह रखते थे उनके उज्जवल भविष्य के लिये प्रयासरत थे। 7. हत्या के कुछ समय पूर्व उनके द्वारा ली गई सैल्फी में वे खुश नजर आ रहे थे। 8. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मार्क यू शेप मे आया हैं जिससे नजर आता हैं कि हत्या की गई आत्म हत्या के समय पर गले पर निशान वी शेप में आता हैं । 4ण यह कि लम्बे समय तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान नही करने पर परिवादिया द्वारा पुलिस उपायुक्त उत्तर को धारा 154 .3 द प्र स के अधीन जरिये जरिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसकी प्रति संलग्न हैं । 5ण यह कि इस विषय में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी स्थिति को स्पष्ट करती हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न हैं । 6ण यह कि घटना स्थल पर आस पास के पत्थरों पर कई बाते लगी हुई थी जिसके विषय में पुलिस ने यह बताया कि यह आत्महत्या करने से पूर्व स्वयं मेरे मृतक पति द्वारा लिखी गई हैं इस विषय मेरे द्वारा अपने स्तर पर विषेषज्ञ से जॉच करवाई तो विषेषज्ञ ने राय दी है कि यह लेख मेरे स्व0 पति के लेख से भिन्न हैं । लिखावट के फोटोग्राफ व विषेषज्ञ की रिपोर्ट भी संलग्न हैं 7ण यह कि इस विषय में समाचार पत्रों में समाचार भी प्रकाषित हुये थे जो भी संलग्न हैं

आदि पर अभियोग संख्या 320/18 धारा 302,201 आईपीसी में दर्ज कर परिवादिया श्रीमति निर्मला व परिजन गवाह रामरतन सैनी, प्रीतम सैनी, शंकर लाल, योगेश सैनी, के बयान धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध किये गये घटना स्थल का निरीक्षण किया जाकर नक्शा मौका कसीद किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में पूर्व में दिनांक 24.11.2017 को थाना हाजा मर्ग नम्बर 49/2017 धारा 174 सीआरपीसी में दर्ज होकर बाद जांच नतीजा मय असल पत्रावली श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम के कार्यालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। इस्तगासा में अंकित तथ्यों के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।

अतः जांच **रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे** अवलोकनार्थ सादर प्रेषित **है।**

सहायक पुलिस आयुक्त,
आमेर उत्तर जयपुर।